न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 365/2025

ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल व अन्य
बनाम
जगदीश पुत्र अन्नाराम वगैरा

दिनांक 10..12.2025

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रकरण सं0 28/2021 में पारित निर्णय दिनांक 18.04.22 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 व 2–प्रार्थी ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील लूणी स्थित ग्राम सालावास के ख0नं0 55 रकबा 37 बीघा खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने हेतु आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–अप्रार्थी सं0 18 से 20 ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट एवं रेस्पो0 अधिवक्ता उपस्थित। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 व 2–प्रार्थी द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि तहसील लूणी के ग्राम सालावास स्थित उनकी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 37 बीघा स्थित है। जिसके उत्तर और दक्षिण दिशा में अप्रार्थीगण की इसी खसरे के खसरा नम्बर 55/1 से 55/17 की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि की राजस्व नक्शें में अलग से तरमीम की हुई है, किंतु मौके पर मुटाम व दीवार नही होने के कारण कब्जाकाश्त को लेकर विवाद रहता है। पडौसी खातेदार कय भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है। अतः प्रार्थी के खसरान का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का करवाने का आदेश फरमाने का आग्रह किया गया। अपीलांट खसरा नं0 55 के बट्टा नम्बरान के खातेदार काश्तकार है, जिन्हें सुनवाई का उचित अवसर नही मिला। अपीलाधीन आदेश बिना विधिक प्रकिया के तथा निर्विवाद सीमाज्ञान रिपोर्ट के बिना पारित किया गया है। प्रकरण में हल्का पटवारी की मौका

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रिपोर्ट दिनांक 23.12.21 पर किसी खातेदार के हस्ताक्षर नही है और न ही किसी को सूचित किया गया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रथतः पारित आदेशिका दिनांक 10.2.21 के अनुसार अपीलांट–अप्रार्थी सं0 18 से 20 जरिये अधिवक्ता, केवियट प्रार्थना उपस्थित हुए। दिनांक 13.04.22 को इनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में अप्रार्थी सं0 18 से 21 द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की कोई रूचि नही लिए जाने के कारण, उनकी ओर से आगे पैरवी नही करने की इतला देते हुए, अप्रार्थी को प्रेषित रजिस्टर्ड नोटिस की पोस्टल रसीदे पेश की गई। अपीलाधीन आदेश में भी अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित व इनकी ओर से जवाब पेश नही करना उल्लेखित है। आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार लूणी से मौका रिपोर्ट तलब की गई, जो जरिये पत्रांक 3355 दिनांक 27.12.21 को प्रस्तुत हुई, जिसके संलग्न हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2021 के बिन्दु सं0 3 व 4 में मौके पर प्राथी–जगदीश के पडौसी खातेदार मानाराम वगैरा के पास अपनी खातेदारी भूमि से 04.04.04 बीघा अधिक भूमि पर कब्जा होना तथा ख0नं0 55 एवं इसके समस्त बट्टा नम्बरान का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार रकबा 118.03 बीघा होना एवं मौके पर 120.03 बीघा भूमि उपलब्ध होना बताते हुए, 2 बीघा अधिक भूमि का रास्ते के रूप में उपयोग करना बताया गया है। अतः अपीलांट का यह कथन कि उन्हें सुनवाई का उचित अवसर नही दिया गया, मानने योग्य नही है, अपीलांट स्वयं द्वारा जानबूझ कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पैरवी नहीं की गई और प्रकरण को लंबित करने के उद्धेश्य से यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पारित आदेशिका दिनांक 10.2.21 के अनुसार अपीलांट–अप्राथी सं0 18 से 20 जरिये अधिवक्ता, केवियट प्रार्थना पत्र के उपस्थित हुए। पत्रावली में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2073--76 के अनुसार ख0नं0 55 व इसके बट्टा नम्बरान में अलग–अलग खातेदारों के नाम दर्ज है। पत्रावली में दिनांक 13.04.22 को इनके अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी सं0 18 से 21 द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की कोई रूचि नही लिए जाने के कारण, उनकी ओर से आगे पैरवी नही करने संबंधी प्रार्थना पत्र भी उपलब्ध है, जिससे अपीलांट का यह कथन साबित नही है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उन्हें सुनवाई का उचित अवसर नही मिला। अतः इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर) द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 28/2021 बअनवान जगदीश वगैरा बनाम सुरेन्द्र वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.22 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 10.12.25 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

10/12/25

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर